

102/3
2018



आज यह पत्रावली वादी द्वारा प्राप्तिपत्र
 करने पर पेशी में ली गयी। वादी द्वारा
 प्राप्तिपत्र में निवेदन किया है कि पक्षधारान के
 मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा
 हो चुका है के कारण दावे को आगे चलाना
 नहीं चाहता है रावा विद्वा करने चाहता
 है वादी की पहचान उनके वकील श्री जयचन्द
 सारस्वत एव द्वारा की गयी। वादी का प्राप्तिपत्र
 स्वीकार किया जाता है दावा जटिल विद्वा
 श्वारीज किया जाता है पत्रावली फैसल सुनाए
 होकर बाद तरीक तद्वकील दाविलदफ्त
 हो।

सहायक कलेक्टर एवं
 कार्यपालक मजिस्ट्रेट
 बीकानेर